क्र	संभावित प्रश्न	उत्तर
	आवेदन हेतु पात्रता से संबधित जिइ	ज्ञास <u>ा</u>
1	आनलाईन लाटरी में आवेदन करने वाले बच्चों को प्रायवेट स्कूलों की किस कक्षा में निःशुल्क प्रवेश की पात्रता।	पोर्टल पर प्रविशत ग्राम/वार्ड के स्कूल एवं उपलब्ध सीटें आप्शन में आप जिस ग्राम/वार्ड में रहते है वह सिलेक्ट करें एवं कक्षा चुने उसके अनुसार प्रविशत स्कूल में आयु अनुरूप कक्षा में प्रवेश की पात्रता होगी। फार्म भरने के पूर्व यहा से स्कूल का नाम एवं आईडी सिलेक्ट कर लें तािक आसानी से फार्म भरा जा सके। कृपया बेहतर स्कूल चुनने हेतु एक बार स्कूल की जानकारी प्राप्त कर लें आवेदन करने के पश्चात स्कूल परिवर्तन नहीं होता है। बेहतर अशासकीय स्कूल जो आपके बच्चे के लिये उचित हो उसे प्रथम प्राथमिकता कृम से चुनें। अपने ग्राम/वार्ड के स्कूल चुने तो
2	आरटीई के तहत किस आरक्षित	लॉटरी के माध्यम से प्रवेश की संभावना अधिक होती है। ऐसे बच्चे आवेदन हेतु पात्र है जिनके माता—पिता निम्न वर्ग से
	वर्ग के बच्चों को निःशुल्क प्रवेश की पात्रता है।	संबंधित हो:— वंचित समूह:— • अनुसूचित जाति, • अनुसूचित जनजाति, • वनभूमि के पट्टाधारी परिवार, • विमुक्त जाति परिवार(विमुक्त जाति में शामिल है—बंजारा, हाबुडा, भाटु, चन्द्रवेदिया, बैरागी, कंजर, सांसी, बनछड़ा, मोघिया, कालबेलिया, भानमत, बगरी, नट,पारधी,बेदिया,कुचबंदिया,बिजोरिया,कबूतरी,सन्धिया, पासी एवं सनोरिया) में शामिल पालक के बच्चे। • निःशक्त बच्चे (मेंडिकल बोर्ड से जारी प्रमाण पत्र अनुसार) • HIV ग्रस्त बच्चे कमजोर वर्गः—वैध बीपीएल कार्ड/अंत्योदयकार्ड धारी
		परिवार के बच्चे। • अनाथ बच्चे (अनाथ आश्रम में पड़ने वाले बच्चे) • कोविड—19 से माता—पिता / अभिभावक की मृत्यु के कारण अनाथ हुऐ बच्चो की शिक्षा, आर्थिक सहायता तथा खादय सुरक्षा के लिये मुख्यमंत्री कोविड—19 बाल कल्याण योजना के हितग्राही । बच्चें का वर्तमान फोटो, आधार नंबर, समग्र आईडी, जन्म प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जिस आरक्षित कोटा के अन्तर्गत प्रवेश हेतु आवेदन किया हे उसका प्रमाण पत्र।

क्र	संभावित प्रश्न	उत्तर
3	किस उम्र के बच्चों को प्रवेश की	आयु के संबंध में निम्नानुसार पात्रता होगीः'
	पात्रता है।	कं. प्रवेश आवेदन की कक्षा न्यूनतम आयु
		1 नर्सरी / के.जी.—1 / के.जी—2 न्यूनतम आयु 03 से 05
		वर्ष 2 कक्षा—1 मे प्रवेश के लिये न्यूनतम आयु 05 पूर्ण हो परन्तु
		2 कक्षा—1 में प्रवेश के लिये न्यूनतम आयु 05 पूर्ण हो परन्तु आयु 07 वर्ष से अधिक नहीं हो।
		नि:शुल्क प्रवेश हेतु आयु की गणना 16 जून 2022 की स्थिति
		में की जावेगी।
4	क्या आधार नंबर एवं आधार	हा जावार नवर इव जावार रात्वावन जावदन करन कर पूर्व
	सत्यापन अनिवार्य है	अनिवार्य है।
5	निवासी होने संबंधी क्या दस्तावेज	सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र। निवास प्रमाण पत्र
	आवश्यक है	में निवास का स्थान अंकित नहीं होने पर वीपीएल कार्ड में अंकित पता स्थानीय पता माना जायेगा।
		·
6	जाति संबंधी आवश्यक दस्तावेज	सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र
7	बीपीएल / अन्तयोदय कार्ड	जिस जिले का कार्ड है उसी जिलें के स्कूल में प्रवेश हेतु मान्य
	,	होगा
8	मेरा बच्चा पूर्व में आरटीई के तहत	
	प्रायवेट स्कूल में निःशुल्क पढ रहा	प्राइवेट स्कूल में निशुल्क अध्ययन किया है अथवा कर रहा है तो वह इस हेतु पुनः आवेदन हेतु पात्र नही है।
	है तो क्या में पुनः अब आवेदन	पर रूप एयु दु । जायप । एयु नाज । ए। ए।
	कर सकता हू।	
9	कोविड—19 के कारण जिनके	हाँ। शासन द्वारा कोविड—19 के कारण अनाथ हुये बच्चों को
	माता-पिता / अभिभावक की मृत्यु	आरटीई के तहत निःशुल्क प्रवेश हेतु पात्रता निर्धारित की है।
	हुई है क्या वह बच्चे आवेदन कर	माता—पिता / अभिभावक का मृत्यु प्रमाण पत्र प्रथमतः आवेदन सत्यापन के समय मान्य होगा।
	सकते हे	जायस्य रार्त्यायय पर रागप भाग्य लागा ।
	आवेदन पत्र के संबंध में जिज्ञासा	
1	आवेदन का प्रारूप कहाँ से प्राप्त	आरटीई पोर्टल <u>http://rteportal.mp.gov.in</u> से डाउनलोड
	कर सकते है	किया जा सकता है।
2	आवेदन पत्र कहाँ जमा करना	आवेदन केवल पोर्टल पर ऑनलाइन ही दर्ज होगे।, ऑफलाइन

勇	संभावित प्रश्न	उत्तर
	होगा।	आवेदन नही किये जा सकेगे। अतः आवेदको द्वारा किसी भी
		स्कूल में आवेदन की हार्ड कॉपी जमा नहीं की जायेगी।
		आवेदक पोर्टल पर अपना आवेदन स्वयं कर सकते है।
3	यदि आवेदन में कोई त्रुटि हो	आवेदन दर्ज करने के बाद प्रिंट निकाल कर देख लें कि
	गयी है तो केसे सुधार सकते है	समस्त जानकारी जेसे समग्र आईडी, आधार नंबर भरे हो
		। स्कूलों का कम देख ले सभी आ रहे है एवं प्राथमिकता
		कम भी चेक कर ले । यदि किसी प्रकार की गलती है या
		मध्या कारा है से पोर्टर पर समझ्य आयार आयार
		सुधार करना है तो पोर्टल पर उपलब्ध आप्शन <u>आवेदन</u>
		अध्यतन करें से आवेदन का सुधार कर लें इसके पश्चात
		ही सत्यापन कराने जायें। सत्यापन कराने के पश्चात कोई
		सुधार नही हो सकेगा। इसमें मोबाइल नंबर–1 पर ओटीपी
		आयेगा उसका उपयोग करें।
4	ऑनलाइन फार्म जमा करने के	आरटीई पोर्टल पर ऑनलाइन फार्म दर्ज करने के उपरांत
	बाद ओटीपी प्राप्त हुआ है इसका	पालक के फार्म में दर्ज मोबाइल नंबर–1 पर एसएमएस
		द्वारा एक ओटीपी पासवर्ड प्राप्त होगा इसको दर्ज करने के
	क्या करना है।	उपरांत आवेदन की पुष्टि कर लॉक करे तभी आवेदन पत्र
		सेव होगा । अतः सलाह दी जाती है कि फार्म भरते समय
		मोबाइल अपने पास चालू करके रखें। इसके बाद आवेदन
		पत्र की पावती प्राप्त कर अपने पास सुरक्षित रखे सत्यापन
		प्रपत्र एवं आवंटन पत्र निकालते समय इसकी आवश्यकता
		· ·
		होगी।
	सत्यापन के संबंध में जिज्ञासा	
1	ऑनलाइन आवेदन करने के	आवेदक अपने निकटस्थ जनशिक्षा केन्द्र है जो सामान्यतः
	पश्चात सत्यापन कहाँ होगा	शासकीय हाईस्कूल या हायर सेकेन्डरी स्कूल होता है उसमें
		आवेदन मे अंकित मूल दस्तावेज तथा ऑनलाइन आवेदन की
		पावती तथा सत्यापन प्रपत्र डाउनलोड़ करके ले जाये। सत्यापन
		अधिकारी द्वारा सत्यापन करने के पश्चात सत्यापन होने संबंधी
		एसएमएस प्राप्त होगा तभी सत्यापन पूर्ण मानें।
2	सत्यापन नही कराने की स्थिति में	नहीं।
	क्या मेरा नाम लॉटरी में आ	ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात सत्यापन केन्द्र में जाकर
		सत्यापन कराना अनिवार्य है। सत्यापन के उपरांत पात्र पाये गये

क्र	संभावित प्रश्न	उत्तर
	सकता है	बच्चों को ही ऑनलाइन लॉटरी में शामिल किया जायेगा।
3	क्या सत्यापन कराने के बाद	नहीं, आवेदन में जो भी त्रुटि है उसकी त्रुटि सुधार आवेदन सत्यापन केन्द्र में जाने के पूर्व ही कर लें। एक बार यदि सत्यापन
	आवेदन पत्र में .त्रुटि सुधार कर सकते है	के पश्चात आवेदन निरस्त हो जाता है तो कोई सुधार नही होगा
4	सत्यापन के समय कोन–कोन से	एवं बच्चा ऑनलाइन लॉटरी प्रक्रिया में सम्मलित नही हो पायेगा। आवेदन के बाद सत्यापन हेतु निम्न मूल दस्तावेज ले जाना अनिवार्य है:
	मूल दस्तावेजों ले जाने की आवश्यकता है	जिस आरक्षित वर्ग से प्रवेश हेतु आवेदन किया है उसकी मूल प्रति।
		 यदि अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जन जााति वर्ग से है तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र। आरक्षित कोटा से संबंधित मूल प्रमाण पत्र
		 वैध वीपीएल कार्ड / अंत्योदय कार्ड
		जिस निवास क्षेत्र के स्कूल हेतु आवेदन किया है उसका सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण
		• जन्म प्रमाण
		फोटोआधार कार्ड
		आवेदन की पावती प्रति
		• सत्यापन प्रपत्र
		 आवेदन में दर्ज प्रथम मोबाइल को भी सत्यापन केन्द्र लेकर जाये।
	ऑनलाइन लॉटरी के पश्चात आवंट	न के पश्चात प्रवेश के संबंध में जिज्ञासा
1	ऑनलाइन आवेदन के बाद प्रवेश	सत्यापन उपरांत पात्र होने पर पारदर्शी ऑनलाइन लॉटरी प्रक्रिया
	केसे होगा।	से एक ही दिन में पूरे प्रदेश में। सत्यापन उपरांत पात्र होने पर ही
		ऑनलाइन लॉटरी प्रक्रिया में सम्मिलित किया जायेगा। केन्द्रीकृत,
		रेण्डमाइजेशन, पारदर्शी तरीके से ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से स्कूलों में सीट का आवंटन किया जायेगा।
2	प्रवेश प्रकिया	लॉटरी में स्कूल का आवंटन होने पर एसएमएस के माध्यम से प्रवेश
		की जानकारी प्रदान की जायेगी। आवेदक पोर्टल से आवंटन पत्र
		डाउनलोड करेगे एवं आवंटन पत्र की प्रति ले जाकरी संबधित आवंटित स्कूल में समय सीमा में प्रवेश लेगे। प्रवेश हेतु समय

क्र	संभावित प्रश्न	उत्तर
		सीमा में उपस्थित नही होने पर आवंटन निरस्त हो जायेगा।
3	प्रवेश की प्रकिया क्या होगी	1 ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से आवेदन करना होगा।
		2 आवेदन के पश्चात ऑपलाइन आवेदन की पावती तथा सत्यापन
		प्रपत्र डाउनलोड कर अपने ग्राम/वार्ड के निकटस्थ स्थित
		शासकीय हाई स्कूल/हायर सेकेन्डरी स्कूल जो जनशिक्षा
		केन्द्र(संकुल क्रेन्द्र) है वहा जाकर आवेदन में दर्ज की गयी
		जानकारी अनुसार मूल दस्तावेज का सत्यापन कराना अनिवार्य है।
		3 मोबाइल एप के माध्यम से सत्यापन कर्ता पात्र/अपात्र
		करेगें।
		4 सत्यापन उपरांत पात्र पाये गये बच्चों को ऑनलाइन लॉटरी
		प्रकिया में सम्मलित किया जायेगा। ऑनलाइन लॉटरी में यदि
		नाम आता है तो ही स्कूल में निःशुल्क प्रवेश ले सकेगे।
		5 ऑनलाइन लॉटरी से स्कूल आवंटन होगा एवं इसके पश्चात
		सीधें स्कूल में प्रवेश लिया जा सकेगा।
	आवेदन करने में समस्या आने पर	कहाँ संपर्क किया जा सकता है।
1	यदि किसी प्रकार की समस्या है	किसी भी प्रकार की समस्या आने पर अपने बीआरसी
	तो कहा से सहायता प्राप्त कर	कार्यालय/जिला शिक्षा केन्द्र/जनशिक्षा केन्द्र में जाकर सहायता
		प्राप्त कर सकतें है।
	सकते है।	

पालकों द्वारा सामान्यतः की जाने वाली त्रुटियाँ जिन कारणों से आवेदन निरस्त हो जाता है:-

- प्रवेशार्थी का अंकित नाम मूल दस्तावेजो सें मिलान नही करता है
- 2 प्रवेशार्थी का जेंडर/ Aadhar/ Samagra ID मूल दस्तावेजो सें मिलान नहीं करता है
- 3 जन्मतिथि मूल दस्तावेजों से मिलान नही करता हे
- 3 आनलाइन आवेदन में प्रवेशाथी द्वारा घोषित एडमीशन कोटा.प्रमाण पत्र कंमाक, दिनांक मूल दस्तावेजों से मिलान नही करता है
- 4 आनलाइन आवेदन में अंकित निवास का ग्राम/वार्ड एवं पता का मिलान मूल दस्तावेजों से नहीं होता है
- 5 ऑनलाइन आवेदन में दर्ज निवास स्थान की जानकारी संबधी मूल प्रमाणपत्र आवेदक द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है।

- 6 आनलाइन आवेदन में अंकित पिता/अभिभावक का मिलान नाम मूल दस्तावेजों से नहीं होता है
- 7 बच्चा आरटीई अधिनियम के तहत पूर्व से किसी प्रायवेट स्कूल में निःशुल्क अध्ययनरत है/पूर्व में किसी प्रायवेट स्कूल में आरटीई अधिनियम के तहत निःशुल्क अध्ययन किया है
- 8 आनलाइन आवेदन के पश्चात सत्यापन नहीं कराने के कारण आवेदन निरस्त हो जाता है